प्रतिरक्षा भारती
Pratiraksha Bharti

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ का मुख्य पत्र

जून 2023 • वर्ष-विंशति (20) • अंक 06 • मूल्य : ₹ 10 • वार्षिक मूल्य : ₹ 120

माननीय सांसद श्री सत्यदेव पचौरी जी द्वारा माननीय रक्षामंत्री से वार्ता कर TCL & GIL Group को 5 वर्ष का वर्कलोड दिलाने पर भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ प्रतिनिधि मण्डल द्वारा सांसद जी का अभिनन्दन किया गया।

माननीय एम. पी. सिंह, उपाध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ एवं दिनेश कुमार गौतम अध्यक्ष, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने चेन्नई प्रवास के दौरान MES (CWE) चेन्नई कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चर्चा की।

NPS समाप्त कर OPS लागू करने हेतु देश भर के रक्षा संस्थानों में आंदोलन किया गया तथा प्रधानमंत्री भारत सरकार को संस्थान प्रमुख के माध्यम से यूनियनों द्वारा ज्ञापन दिया गया।

सम्पादक की कलम से

मित्रों

वर्तमान समय में सरकारी कर्मचारियों का मुख्य मुद्दा पेंशन है, होना भी स्वाभाविक है। क्योंकि 20 साल की उम्र से सरकारी कर्मचारी देश और प्रदेश की सरकारों के साथ काम करते हुए 60 वर्ष में सेवानिवृत्त होते है उन्हें पता ही नहीं कि उनको कितनी पेंशन मिलेगी वहीं पर राजनेता जिन लोगों के लिये काम करते है वह एक बार चुनकर आते है शपथ ग्रहण कर लिया और एक निश्चित पेंशन के हकदार हो जाते हैं। सांसद और विधायकों को पेंशन का अधिकार है तो सरकारी कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन प्राप्त करने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिये।

मित्रों तमाम राज्य सरकारों ने NPS को समाप्त कर OPS पेंशन लागू किया परन्तु अभी तक उनका NPS में जमा धनराशि का कोई निर्णय नहीं हुआ अर्थात जमा धन कर्मचारियों को प्राप्त नहीं हुआ। मामला अधर में लटका हुआ है अभी आंध्र प्रदेश की सरकार ने भी अभी घोषणा की है कि वह गारण्टेड पेंशन के अंतर्गत अपने कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन अपने कर्मचारियों को प्रदान करेगी अर्थात कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के अंतर्गत गारण्टेड पेंशन की व्यवस्था करेगी। भारतीय मजदूर संघ लम्बे समय से यह मांग करता आ रहा है कि सरकारी कर्मचारियों को OPS प्रदान करे या न्यूनतम पेंशन की गारंटी प्रदान करे जो कि अंतिम वेतन के 50 प्रतिशत से कम न हो तथा Prize Index के साथ जोड़ा जाये। भारतीय मजदूर संघ की मांग पर अभी तक केंद्र सरकार ने संज्ञान नहीं लिया परन्तु आंध्र प्रदेश सरकार ने मांग को पूरा किया। इसके लिये आंध्र प्रदेश सरकार को बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करते है कि केंद्र सरकार जल्दी संज्ञान लेगी और कर्मचारियों को न्याय प्रदान करेगी। वित्त सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति से भी हम उम्मीद करते है कि वह कर्मचारियों को न्याय प्रदान करायेगी।

मित्रों जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि केंद्र सरकार ने 01 अक्टूबर 2021 से आयुध निर्माणियों को सरकारी विभाग से हटाकर कारपोरेशन में बदल दिया और सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को 2 साल के लिए प्रतिनियुक्ति डीम्ड डेपूटेशन पर भेज दिया है। हम 1 अक्टूबर 2021 से सात PSU में काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार रक्षा मंत्रालय ने सभी कारपोरेशन को अपनी HR पालिसी बनाने और रिक्रूटमेंट रूल बनाने के आदेश दिए। परन्तु हम सभी को ज्ञात है कि 7 PSU अपनी HR Policy नहीं बना सके है। जुलाई तक यदि HR पालिसी नहीं बन पाती तो निश्चित रूप से सरकार को डीम्ड डेपूटेशन और आगे बढ़ाना होगा। जिसकी अवधि एक या दो वर्ष हो सकती है। हम सभी भली भांति जानते है कि भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने अपनी पूना केन्द्रीय कार्य समिति में एक प्रस्ताव पारित कर यह मांग की है कि आयुध निर्माणियों के कर्मचारियों को प्रसार भारती की तरह Til to रिटायरमेंट सरकारी कर्मचारी ही रखा जाय। इस मुद्दे पर हमारी लड़ाई सरकार के साथ तब तक चलने वाली है जब तक सरकार कर्मचारियों को पूरी तरह प्रोटेक्ट नहीं करती।

मित्रो आप सभी को ज्ञात है कि 7 PSU में एक TCL Group भी है जिसके पास वर्ष 2023–24 के लिये वर्क लोड नहीं था हमने इस मुद्दे को बहुत ही गम्भीरता के साथ लड़ा और सफलता भी प्राप्त की। जहाँ महासंघ ने माननीय रक्षा मंत्री महोदय को कई पत्र लिखे। वहीं पर हमारी टीसीएल की चारों यूनियन ने आंदोलन एवं पत्राचार किया तथा अपने अपने क्षेत्रों के सांसदों और केंद्रीय और प्रदेश के मंत्रियों को ज्ञापन भी सौंपे। शाहजहांपुर की हमारी यूनियन ने सांसद महोदय को ज्ञापन दिया वही वहां से उत्तर प्रदेश में एक वरिष्ठ मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी को ज्ञापन दिया। मंत्री महोदय ने माननीय रक्षा मंत्री से बात की, प्त्र भी लिखा। शाहजहाँ पुर के सांसद महोदय ने इस विषय को पार्लियामेंट में उठाया। वहीं पर OEF की यूनियन ने कानपुर के सांसद महोदय को ज्ञापन दिया। माननीय सांसद श्री सत्य देव पचौरी जी ने रक्षा मंत्री को न केवल पत्र लिखा बल्कि सांसद महोदय ने पार्लियामेंट सत्र के दौरान BPMS के प्रतिनिधि मंडल को साथ ले जाकर लोक सभा में रक्षा मंत्री के कार्यालय में माननीय रक्षा मंत्री से वार्ता कराई। OEF हजरतपुर ने केंद्रीय मंत्री श्री एस पी बघेल को ज्ञापन दिया। महासंघ और सम्बद्ध यूनियनों के प्रयास और जनप्रतिनिधियों की सक्रियता का ही परिणाम है कि TCL को नॉमिनेशन बेस पर अगले 5 वर्षो के लिये लोड प्राप्त हुआ। इस बड़ी सफलता के लिए महासंघ और सम्बद्ध यूनियन बधाई के पात्र है। हमें आगे भी किसी भी कारपोरेशन में यदि इस तरह की समस्या आएगी तो इसी तालमेल के साथ काम करना होगा। अब हमारे कर्मचारियों का भविष्य ही वर्क लोड पर आधारित है तो हमें इसी तरह संघर्ष करना होगा।

❐

स्थापना दिवस

23 जुलाई 1955 – भारतीय मजदूर संघ की स्थापना

भारतीय मजदूर संघ की स्थापना शून्य से सृष्टि रचना का संकल्प था। इसकी स्थापना का उद्देश्य था मजदूर क्षेत्र में एक ऐसे श्रमिक संगठन का गठन करना जो 'मजदूरों का, मजदूरों द्वारा, मजदूरों के लिए' सिद्धान्त पर राष्ट्रहित, उद्योगहित व मजदूरहित के लिए कार्य करे। हर प्रकार के बाहरी प्रभाव जैसे नियोजकों का प्रभाव, सरकार और राजनीतिक दलों का प्रभाव, व्यक्तिगत नेतागिरी व विदेशी विचारधारा के प्रभाव से मुक्त होकर राष्ट्रहित के अन्तर्गत स्वतन्त्र स्वायत्तरूप से संगठनात्मक तथा आन्दोलनात्मक गतिविधियों का संचालन करे । भारतीय संस्कृति एवं परम्पराओं तथा भारतीय अर्थ चिंतन भारतीय अर्थव्यवस्थाओं का आधार लेकर चले।

भा.म.संघ 'वर्ग संघर्ष' जैसे साम्यवादी विचार को नहीं मानता। उसका मानना है कि सभी भारत माता के सपूत और सन्तानें हैं। वर्ग संघर्ष नहीं, अपितु अन्याय, शोषण, आर्थिक व सामाजिक विषमता के विरुद्ध संघर्ष इसे मान्य है। यह संघर्षवादी अथवा समन्वयवादी न होकर संघर्षक्षम व समन्वयक्षम है। जहाँ संघर्ष की आवश्यकता होगी। वहाँ संघर्ष और जहाँ समन्वय की आवश्यकता होगी वहाँ समन्वय करेगा। नियोजक और सरकार यदि विरोध करे तो यह भी विरोध करेगा और अगर वे सहयोग करें तो यह भी सहयोग करेगा। भा.म. संघ ने इसे 'प्रत्युत्तरीय सहयोग' (रिस्पांसिव कोआपरेशन) का नाम दिया और नियोजकों व सरकार को इसे अपनाने का आवाहन किया।

'राष्ट्र का औद्योगिकीकरण, उद्योगों का श्रमिकीकरण तथा श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण' – इन तीन सूत्रों में भारतीय मजदूर संघ ने अपने उद्देश्य को स्पष्ट किया है। 'धन की पूँजी, श्रम का मान. कीमत दोनों एक समान', 'देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम', 'बी.एम.एस. की क्या पहचान– त्याग, तपस्या और बलिदान' तथा कम्युनिस्टों के 'दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ' के स्थान पर भारतीय मजदूर संघ ने नारा दिया– 'मजदूरों दुनिया को एक करो' तथा कम्युनिस्टों के 'इन्कलाब' और 'लाल सलाम' के स्थान पर भारतीय मजदूर संघ ने 'भारत माता की जय' व 'वन्देमातरम्' के उद्घोष दिए जिनसे मजदूर क्षेत्र पूर्णतया अपरिचित था।

भा.म.संघ ने लाल के स्थान पर भगवा ध्वज को अपना स्फूर्ति केन्द्र माना और हँसिया हथौड़े के स्थान पर मानवीय अँगूठे व उद्योग चक्र को अपना प्रतीक चिन्ह बनाया। साम्यवादियों के 'मई दिवस' के स्थान पर 'विश्वकर्मा जयन्ती' (17 सितम्बर) को श्रमिकों का राष्ट्रीयश्रम दिवस घोषित किया गया।

संघ ने इस प्रकार धीरे–धीरे आगे बढ़ते हुए भारतीय मजदूर साम्यवादियों के लाल किले पर लाल निशान के मन्सूबों को धराशायी कर दिया। जब 1955 में श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी द्वारा भा.म. संघ की स्थापना की गई तब विश्व तथा भारत में भी साम्यवाद अपने चरम पर था। दूसरी ओर भारतीय मजदूर संघ का निर्माण शून्य से हुआ, तब भा.म.संघ के पास न कोई यूनियन, न कोष, न कार्यालय और न ही कोई कार्यकर्ता था और विरोधी संगठनों, सरकार, नियोजकों व सत्ता प्रतिष्ठानों द्वारा इस नवोदित संगठन को प्रारंभ में ही कुचल देने की कुचेष्टा थी। इन सब के बावजूद पैंतीस वर्ष की सफल सतत् संगठन यात्रा के पश्चात् भा.म.संघ देश में कार्यरत सभी विरोधी संगठनों को पछाड़ते हुए प्रथम स्थान पर सबसे बड़ा केन्द्रीय श्रमिक संगठन बन गया। यह मा. ठेंगड़ी जी के कुशल, कर्मठ और चमत्कारिक नेतृत्त्व का ही परिणाम था। स्थापना के समय जिसकी सदस्यता शून्य थी आज 2016 में दो करोड़ से अधिक सदस्यता के साथ यह संगठन भारत ही नहीं अपितु चीन के सरकारी श्रमिक संगठन को छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा स्वायत्त स्वतन्त्र श्रमिक संघ है। ❐

कार्य की नहीं, कार्यकर्ता की चिंता करो।
कार्यकर्ता का यथोचित ध्यान रखें व आदर–सम्मान करो।
कार्य तो अपने आप होगा, और सर्वश्रेश्ठ होगा।

–मा. श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी

जे सी एम III OFB मीटिंग के मुख्य बिन्दु

– साधू सिंह
सदस्य JCM III OFB

मित्रों

आज हम JCM 3 के BPMS के सदस्यों के साथ दिनांक 23 जून, 2023 को प्रातः 9 बजे DG से मिले और विभिन्न विषयो पर उनके साथ चर्चा की। इस मीटिंग में अपने कार्याध्यक्ष श्री BNSingh जी भी थे।

इसके पहले प्रातः 7,30 बजे गन शैल फैक्ट्री काशीपुर में एक द्वार सभा को सम्बोधित किया।

इसके बाद 11 बजे JCM तृतीय की बैठक में भाग लिया मीटिंग के पूरे minitus शीघ्र ही आप सभी की जानकारी के लिये प्रेशित किये जायेंगे। कुछ मुख्य विषय आपकी जानकारी के लिये प्रेषित कर रहा हूँ।

NPS से Ops में परिवर्तन जैसा कि आप सभी को विदित है कि भारत सरकार के पत्र 3 मार्च 2023 के द्वारा आदेशित है कि जो रिक्त स्थान 22दिसम्बर 2003 तक advertisement /notification हुए उन्हें nps के स्थान पर ops में परिवर्तित किया जाय।

लम्बी चर्चा के बाद DG महोदय ने जानकारी दी कि 20 मई 2003 को MOD द्वारा जो पोस्ट स्वीकृति हुई उन की भर्ती जब भी हुई है उन सभी को OPS के अंतर्गत लाने के लिये स्पष्टीकरण रक्षा मंत्रालय से लिया गया है। 20 मई 2003 को रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2001,2002 और 2003 की रिक्तियों को भरने का आदेश किया था जिसे आयुध निर्माणियों ने 2004 या उसके आगे भी पोस्टों को भरा है वह सभी इसके अंतर्गत आयेंगे।

अनुकम्पा नियुक्ति के सम्बंध में जो स्पष्टीकरण मंत्रालय से प्राप्त हुआ है उसमें कहा गया है कि स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा जो अनुशंषा की गई है उस तिथि को कट ऑफ डेट मन जाएगा अर्थात जो अनुशंसा 22 दिसम्बर 2003 या इसके पूर्व हुई है उसे दचे से वचे में परिवर्तित किया जाएगा।

BPMS के द्वारा मांग की गई कि कई निर्माणियों में 4साल से लेकर 10 साल तक भर्तियां नहीं हुई जैसे 2000 से लेकर 2008 तक के 5 प्रतिशत मृतक कोटा को 2009 में भरा गया। वहां पर 22 दिसम्बर 2003 के रिक्त पदों को भी ops के अंतर्गत लाया जाये।

Land displaced person जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को नौकरी देने के प्रार्थना पत्र 22 दिसम्बर 2023 के पूर्व दिए है उनको 2004 के बाद नियुक्ति प्राप्त हुई है उनको भी OPS के अंतर्गत लाया जाये। इस सम्बंध में भी मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा गया है। मंत्रालय के द्वारा पोस्ट स्वीकृति की तिथि को नोटिफिकेशन की तिथि मानते हुए वचे प्रदान करने के लिये स्पष्टीकरण मांगा गया है।

इसके अतिरिक्त बहुत से कर्मचारियों का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर हुआ उनका डेटा भर्ती करने वाली निर्माणी उपलब्ध कराएगी।

2 GIL और TCL को OTA एरियर का भुगतान करने के लिये MOD से बजट मिल चुका है उसके भुगतान के लिये DG महोदय ने कहा कि दोनों कम्पनियो को कहा जायेगा कि कर्मचारियों से नदकमत जांपदह लेकर भुगतान मरणा चाहिये।

3 Patient Care Allowance Arrear में भुगतान के लिये दिशा निर्देश सम्बंधित फील्ड यूनिट और चेन को दे दिए गए है। मेडिकल अस्सिटेंट को MACP प्रदान करने की कार्यवाही की जा रही है।

कुछ मेडिकल असिस्टेंट डिप्लोमा Farmacy पास है उन्हें फार्मेसिस्ट में पदोन्नति में One Time Relaxation देने के लिये MOD को लिखा जाएगा।

अनुकम्पा नियुक्ति का मामला रक्षा मंत्रालय में विचाराधीन है। 12 मई 2023 को रिमाइंडर दिया गया है।

जिन निर्माणियों में JCM-IV का गठन नहीं हुआ है वहां दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे।

LPC की नियमित बैठकों के लिये निर्देश सभी निर्माणियों को जारी किए जा चुके है।

ट्रांसफर पालिसी ऑफ IES एक सप्ताह के अंतर्गत प्रकाशित की जाएगी

एक ट्रेड से दूसरे ट्रेड में जाने के लिये ट्रेनिंग प्रोग्राम DOO के द्वारा पालिसी बनाने पर सहमति प्रदान की गई।

O F भंडारा में मेडिकल स्टाफ की कमी पूरी करने के आदेश जारी किए गए है जानकारी दी गई कि मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। भर्ती का 6 माह का डाटा भी दिखाया गया।

OCF शाहजहांपुर सहित सभी निर्माणी हॉस्पिटल में दवाइयां की उपलब्धता के दिशा निर्देश जारी किया गए है।

OCF शाहजहांपुर के 104 कैंडिडेट को नौकरी प्रदान करने का मामला उठाया निर्माणी और DPSU से DOO वार्ता करेगा परन्तु कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया गया।

टाइम वेज पीस वर्कर कर्मचारियों का प्रोटेक्ट करने के आदेश है वह लागू करने के लिए दिशा निर्देश निर्माणियों और DPSU को शीघ्र जारी किया जाएगा।

मीटिंग के समाप्त होने के बाद JCM सदस्य श्री रामप्रवेश जी और कार्यकारी अध्यक्ष OD Alipur में द्वार सभा को सम्बोधित किया।

दिनांक 22 जून 2006 को OD अलीपुर के कार्य कर्ताओं के साथ वार्ता हुई उनकी समस्याओं और परेशानियों की जानकारी प्राप्त हुई। महासंघ शीघ्र कुछ समाधान करेगा ऐसा आश्वासन दिया।

MES के कार्य कर्ताओं से भी मुलाकात हुई। पीयूष कांति दास से भी मुलाकात हुई।

गन शैल फैक्ट्री के कुछ युवा साथियों ने NPS to OPS के लिये ज्ञापन भी दिया।

❐

दत्तोपंत जी के सूत्ररूप विचार

(दत्तोपंत जी के जिन उद्‌बोधनों व भाषणों का समावेश 'दत्तोपंत ठेंगड़ी–जीवन दर्शन ग्रंथमाला' के नौ खंडों में किया गया है उन्हें बिना किसी काँट छाँट यथावत प्रकाशित किया गया है। प्रस्तुत पुस्तक की सीमित पृष्ठ संख्या के दृष्टिगत उन भाषणों के कुछ प्रमुख बिन्दु यहाँ दिए जा रहे हैं। दत्तोपंत जी के यह अनमोल वचन एक प्रकार से मन्त्र हैं जिन्हें कार्यकर्ता नित्य अभ्यास से सिद्ध करते हुए कार्यक्षेत्र में सफलता के उच्च शिखरों को छू सकते हैं.... सं)

- जैसे पैसे का स्वामित्व है वैसे ही पसीने का हो। पसीना भी उद्योग की पूँजी का एक अंग है। इस दृष्टि से जैसे पैसा देने वाला वैसे ही पसीना बहाने वाला भी अपने उद्योग का भागीदार है। इस कारण पसीना बहाने वाले भागीदार को भी उद्योग का स्वामी मानना चाहिए।
- कुछ संस्थाएँ व्यक्ति–प्रधान होती हैं। बस एक व्यक्ति के बड़प्पन के लिए संस्था चलती है। एक नेता शेष सब उसके अनुयायी। वह आदेश देता है बाकी उसका पालन करते हैं। हम इस प्रकार की व्यक्ति प्रधान संस्था बना कर काम करना नहीं चाहते। हमारा उद्देश्य है देशव्यापी संगठन खड़ा करना वह भी ऐसे व्यक्तियों का जिनमें सोचने समझने और नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता हो।
- कर्तव्यों के संसार में ही अधिकारों का महत्व है " अधोगामी वृत्ति वालों को अधिकार भाते हैं और ऊर्ध्वगामी वृत्ति वालों को कर्तव्य ।
- आवश्यक है कि श्रमिकों के मन का राष्ट्रीयकरण हो। प्रत्येक श्रमिक को यह साक्षात्कार हो कि वह अकेला या पृथक नहीं है. वह तो संपूर्ण राष्ट्र के शरीर का ही एक अंग है। संपूर्ण राष्ट्र के साथ एकात्मता का भाव न रहा तो इस पद्धति (श्रमिकों का स्वामित्व) में भी अनेक संकट उत्पन्न हो सकते हैं। इस लिए कहा कि श्रमिकों के मन का राष्ट्रीयकरण हो ।
- हमारा उद्देश्य है हिन्दुस्थान के मजदूर आंदोलन में जो त्रुटि है उसे ठीक करना। लोग अभी तक यही समझते रहे कि 'मजदूर' और 'मालिक' दो ही पक्ष हैं। वह भूल गए कि एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष राष्ट्र है।
- विदेशी पूँजी के हाथ देश को बेचने का मतलब है सार्वभौम रूप से गरीबों और देश के आर्थिक शोषण की अनुमति और अवसर देना यह षड्यंत्र और खतरा गरीबों के खिलाफ ही नहीं, लोकतंत्र के खिलाफ भी है। इससे हमारी आर्थिक स्वतंत्रता समाप्त होगी। हमारा सार्वभौमत्व समाप्त होगा।
- अर्थ और काम सभी के लिए समान और सामान्य है। जैसे इनके 'अभाव' से मनुष्य दुःखी होता है, वैसे ही इनके 'प्रभाव' से भी सुख प्राप्त नहीं होता।
- अर्थ और काम का किसी को अभाव न हो, यह जिम्मेदारी समाज रचना की है। अर्थ और काम का प्रभाव मन पर ना हो, यह जिम्मेदारी व्यक्ति की मनोरचना की है।
- यह जीवन भर का त्याग है। एक दिन जलना आसान है किन्तु जीवन भर जलते रहना बहुत कठिन काम है। यह कठिन कार्य आज हम भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं को करते हुए देखते हैं।
- राष्ट्रहित चौखट में रह कर मजदूर हित – यह हमारा ध्येय है। पहले राष्ट्रहित वाद में मजदूर हित और अंत में भारतीय मजदूर संघ का हित। इस में कोई संस्थागत अंहकार नहीं है। राष्ट्र का कल्याण हो मजदूरों का कल्याण हो यही सिद्धान्त और लक्ष्य है।
- सर्वसाधारण नागरिक की राष्ट्रीय चेतना का स्तर यही आधार है राष्ट्र के पुनर्निर्माण का राष्ट्रीय चेतना का स्तर ऊँचा नहीं है तो पोलिटिकल पावर से कुछ नहीं हो सकता। यदि राष्ट्रीय चेतना का स्तर ऊँचा है तो पोलिटिकल पावर का अच्छे रूप में उपयोग हो सकता है। जन संगठन जब खड़े रहते हैं तभी सही मायने में नैतिक नेतृत्व का उदय होता है।
- हमारा संगठन है धर्मदण्ड अर्थात् विकृतियों पर अंकुश। देश से समाज बड़ा नहीं हो सकता है। परम वैभव माने पोलिटिकल पावर नहीं है। राजनितिक सत्ता आती है जाती है। महत्व धर्म दण्ड का है। राष्ट्रीय चेतना का स्तर यह उसका आधार है। तपश्चर्या करने वाले के हाथ में ही नियन्त्रण होना चाहिए।
- हमने यह कहा था 'The best should suffer so that rest could prosper' अर्थात् दूसरों को सुखी बनाना है तो कुछ अच्छे लोगों को कष्ट सहना ही पड़ेगा हमने नारा ही दिया था 'बी. एम. एस. की क्या पहचान– त्याग तपस्या और बलिदान' हमारे तथाकथित प्रगतिशील लोग हम पर हँसते थे कि ट्रेड यूनियन में हम पैसे के लिए आते हैं और बी.एम.एस. के यह पागल लोग कह रहे हैं त्याग तपस्या और बलिदान।–
- दूसरों को सुखी बनाना और स्वयं को सद्‌गुणी बनाना यह प्रयास करना चाहिए। किन्तु होता उल्टा है हर एक आदमी दूसरों को सद्‌गुणी और स्वयं को सुखी बनाने के प्रयास में लगा रहता है।
- हमें यह पूरा विश्वास है कि हमारे सभी कार्यकर्ता रजाई ओढ़कर सो जायें तो भी यहाँ कम्युनिज्म नहीं आ सकता।
- हमारा लक्ष्य राष्ट्र निर्माण है। अन्यों के समान हम सत्ता को अतिरिक्त महत्व नहीं देते। भविष्य पालन करेंगे। भी हम इसी दृढ़ता का पालन करेंगे।
- मजदूर तथा देश का कल्याण यही उसका (भा.म.संघ) का उद्देश्य रहे मजदूर, उद्योग तथा राष्ट्र तीनों के हित एक ही दिशा में जाने वाले हैं यह उसकी मान्यता रहे अधिकार और कर्तव्य दोनों पर वह समान आग्रह रखेय नेतागिरी,

राजनैतिक दलगत स्वार्थ, मालिक, सरकार और विदेशी विचारधारा का प्रभाव, इन सब बातों से वह सर्वथा मुक्त रहे।

- राजनैतिक दल निरपेक्ष सभी राष्ट्रवादी तत्वों के लिये एक सामान्य मंच के नाते वह कार्य करे। राष्ट्रीय संस्कृति तथा परंपरा के प्रकाश में मजदूरों का मजदूरों के लिये, और मजदूरों द्वारा चलाई गयी संस्था इस भूमिका का वह निर्वाह करे; और मजदूरों को सम्पूर्ण राष्ट्र के साथ मनोवैज्ञानिक एकात्म स्थापित करते हुये अधिकतम उत्पादन के द्वारा राष्ट्रोत्थान के कार्य में महत्वपूर्ण सहयोग देने में वह सिद्ध हो।
- जब तक प्रत्यक्ष वेतन जीवन वेतन के स्तर तक नहीं आता तब तक बोनस को विलंबित तथा पूरक वेतन माना जाये यह माँग की। न्यूनतम तथा अधिकतम व्यय योग्य आय में एक और दस का अनुपात प्रतिपादन किया। मूल्य वृद्धि के लिये वेतन वृद्धि उतनी ही मात्रा में जिम्मेवार है जितनी मात्रा में वेतन वृद्धि उत्पादकता वृद्धि से अधिक होगी, यह सिद्धांत प्रतिपादित किया।
- श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्र का औद्योगिकीकरण तथा उद्योगों का श्रमिकीकरण (Nationlise the Labour; Industrialise the Nation; Labourise the Industry) यह संघ की त्रिसूत्री माँग भी उसकी विचार पद्धति का ही परिचय देती है। उद्योगों के श्रमिकीकरण की कल्पना भी संघ की जगत् के श्रम क्षेत्र को एक मौलिक देन है।
- हमारी जड़ भारत भूमि में हैं, राष्ट्रीयता के आधार पर हम मजदूर आन्दोलन चलाना चाहते हैं। दुनिया के मजदूरों एक हों (Workers of the world unite) नहीं, अपितु मजदूरों दुनिया को एक करो (Workers unite the world) हमारा नारा है। वास्तविक राष्ट्रवादी संगठन आज खड़ा हो रहा है।
- भारतीय मजदूर संघ यह स्वयम् Committed Trade Union Movement है किन्तु Genuine Trade Unionism के नाते हमारी Commitment राष्ट्रहित के चौखट के अन्तर्गत मजदूर हित के प्रति है। हम किसी की भी नेतागिरी के लिए, राजनैतिक दल के स्वार्थ के लिए या शासन तथा शासक दल के लिए Committed नहीं रह सकते। इस तरह की Commitment Genuine Trade Unionism तथा मजदूर हितों से मेल नहीं रखती।
- देशभक्त मजदूर संगठन के रूप में बी. एम. एस. का रवैया है कि उत्पादन बढ़ाया जाए और समान वितरण किया जाए। लेकिन सरकार द्वारा हड़ताल के अधिकार पर पाबन्दी लगाने की किसी भी कार्यवाही को यह बर्दाश्त नहीं करेगा। बी.एम. एस. ने माँग की है कि काम करने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी जाए। ''हड़ताल का अधिकार'', काम करने के अधिकार का स्वभाविक परिणाम है। इस अधिकार पर रोक लगाना पूरी तरह अलोकतांत्रिक और अधिकारवादी है इसकी बजाए औद्योगिक विवादों के समाधान के लिए ऐसी उपयुक्त व्यवस्था की जाए कि हड़ताल का अधिकार निष्प्रयोजनीय हो जाये।
- वैसे तो राष्ट्रवादी श्रमिक के नाते हम देश के पुनर्निर्माण के लिये चाहे जितना काम करने और स्वार्थ त्याग करने को तैयार हैं किन्तु हमें यह भरोसा होना चाहिये कि यह त्याग देश के लिये वास्तव उपयुक्त है।
- 'उत्पादन खर्चा घोषित करो' यह नियम सभी उत्पादकों पर समान रूप से लागू दोनों पर होना चाहिये। देशी उत्पादक तथा विदेशी उत्पादक–
- आपातकाल के समय आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी ने लोक SIP संघर्ष समिति के अध्यक्ष के नाते श्री एस.एम. जोशी तथा सेक्रेटरी के नाते मुझे नियुक्त किया था और मुझे आदेश दिया था कि कम्युनिस्ट, गैर कांग्रेसी नेताओं, दलों से मिलकर सबका एक दल बन सकता है क्या? उसका प्रयास करना ।
- श्री गुरुजी के बारे में भी किसी ने यही कहा है, "परिणामों की परवाह न करते हुए इसी जल्दी के कारण अपने शरीर की मोमबत्ती उन्होंने दोनों तरफ से जलाई।'' कई बार लोगों ने आग्रह किया कि विश्राम लेना चाहिये। किन्तु वे कहते थे कि विश्राम आखिर में लेंगे। बाद में बहुत विश्राम है।
- प.पू. श्री गुरुजी का हमारे लिए जीवन संदेश क्या है यह इस प्रसंग में स्पष्ट होता है। एक विद्वान को हस्ताक्षर देते समय श्री गुरुजी ने लिखा है "मैं नहीं, तू ही'', संपूर्ण आत्म समर्पण। जैसे नारद भक्ति सूत्र में कहा है " **तद् सुखेन सुखितम्**, To be happy in His happiness", परमात्मा के चरणों में सब कुछ समर्पण कर देना, लोगों के लिये यही उनके जीवन का मार्गदर्शक संदेश है, वसीयत है।''
- मुझे स्मरण है कि बारह वर्ष पहले 'इंडिया टुडे' में एक लेख छपा था। इसका शीर्षक था 'व्हेयर आर दे नाऊ? उसमें दस साल पूर्व जिनके नाम तथा फोटो समाचार पत्र में नित्य आते थे, वह दशक समाप्त होते होते जिनके नाम लुप्त हुए थे ऐसे लोगों की सूची दी गई थी। तो ऐसी प्रसिद्धि से समाजोपयोगी संगठन निर्माण नहीं हो सकता। हम यह प्रत्यक्ष देखते हैं।
- राष्ट्रहित सर्वोपरी मानना, राष्ट्रहित को प्राथमिकता देना, यह यूनियनों का और मजदूरों का कर्तव्य है।
- हम औद्योगिक क्षेत्र में कहते हैं कि Need based minimum wage हम हरेक को मिलना चाहिए। वैसे ही Need based mini& mum publicity मजदूरों को मिलनी चाहिए, इतनी ही हमारी प्रार्थना है। हम उन लोगों में नहीं हैं जो Cheap Publicity विश्वास रखते हैं। जो इमेज बिल्डिंग में विश्वास रखते हैं।
- ये जनशक्ति निर्माण करने का अपना काम है। उसी का एक प्रयास इस रैली के द्वारा हो रहा है। तो स्थायी विकल्प पार्टी के लिए पार्टी का नहीं है। सरकार के लिए सरकार का नहीं है तो जागृत, जागरूक, प्रशिक्षित, नित्य सिद्ध जनशक्ति यह स्थायी विकल्प सभी सरकारों के लिए है और यह प्राचीन राष्ट्र है हम जानते हैं। यहाँ कितनी सरकारें आईं कितनी सरकारे गई राष्ट्र जीवन हमारा अखण्ड चलता है। The Governments may come and the govern& ments may go

but this Nation will go on for ever at गवर्नमेंट पर अवलम्बित नहीं है और इस दृष्टि से यह स्थायी विकल्प जनशक्ति का निर्माण करने के लिए उपयुक्त है।

- वैज्ञानिक दावा करते हैं कि वे ई. सन् 2040 तक विशेष गुणधर्म वाले मनुष्य को उत्पन्न कर देने की स्थिति में आ जाएँगे, तो इसकी क्या गारन्टी है कि वे भगवान् बुद्ध, ईसा मसीह और महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति ही बनाएँगे और अतीला, चंगेज खां और स्टालिन जैसे व्यक्ति नहीं बनाएँगे। प्रत्येक प्रतिभावान वैज्ञानिक या नोबल पुरस्कार के लिए नामित व्यक्ति मानवता की भलाई के लिए ही प्रतिबद्ध होगा, यह आवश्यक नहीं है।
- यह शताब्दी हिन्दू शताब्दी होगी अर्थात् यह मानवीय शताब्दी होगी, क्योंकि हिन्दू और मानव पर्यायवाची हैं। इस मंगल सूचक दृश्य के अवसर पर हम सभी एक पवित्र शपथ लें कि हम वही करेंगे जिससे कि न्याय और स्थाई शान्ति प्राप्त हो, हमारे मध्य भी और सभी राष्ट्रों में भी। किसी के प्रति द्वेष और दुर्भावना नहीं रखेंगे। सभी के लिए सद्भाव और परोपकार की दृष्टि रखेंगे। सत्य के साथ लगातार खड़े रहेंगे क्योंकि भगवान् ने हमें सत्य को देखने की दृष्टि दी है। यह वही प्रतिज्ञा है जिसे इस पृथ्वी पर अवतरित होने वाले सबसे महान मानवतावादी ने बताया था।
- हम रा. स्व. संघ के स्वयंसेवक हैं। हमारी निष्ठा संघ के प्रति है। हमारा चरित्र संघ के नाते जाना जाता है किन्तु संघ हमारा नियन्त्रण नहीं करता है। इसलिए हम जैन्युन ट्रेड यूनियन चलाते हैं।
- समय का क्षितिज अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। राजनेता के लिए समय क्षितिज चुनाव से चुनाव तक होता है– एक स्टेट्समेन के लिए दशाब्दी से दशाब्दी तक किन्तु एक राष्ट्र निर्माता का समय क्षितिज शताब्दी से शताब्दी तक होता है।
- सब कुछ सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। पर्सिया के गृहमंत्री ने सेना को स्पष्ट कहा आप की बन्दूक से चलाई गई एक एक गोली मेरी बन्दूक से चलाई गई गोली है उसके कुछ दिन पश्चात् मार्शल गोरिंग ने बताया कि रशियन साइड से की जाने वाली आतंकी घटनाएँ समाप्त हो गई हैं। आतंकवाद समाप्त करने की इच्छा शक्ति चाहिए।
- एक नई परम्परा स्थापित करें। सेवानिवृत्ति के पश्चात् कार्यकर्त्ता को पद पर न बनाए रखें किन्तु उनके विस्तृत अनुभव का लाभ संगठन को मिलता रहे सो नए कार्यकत्ताओं की दक्षता बढ़ाने का काम उन्हें सौंपें।
- हमें जमीनी स्तर (हतें तववज) की जानकारी रखनी चाहिए। यह तभी संभव है जब हमारे ग्रांउड लेवल के सभी कार्यकर्ताओं से सीधे जीवन्त स्नेह संपर्क संबंध होंगे।
- प्रचार वर्षा समान है। वर्षा एक सीमा तक ही अच्छी है। अधिक तो बाढ़ और कम हो तो सूखा ।
- साम्यवाद अपने अन्तर्निहित विरोधाभासों ही के कारण समाप्त हो जाएगा। यह समझ कर हम पन्द्रह बीस लोग भोपाल में एक साथ बैठे थे और भा.म.संघ निर्माण करके इसे एक धक्का लगाते हुए नीचे लाने का विचार किया। हमें पूर्ण विश्वास था कि ईश्वर भौतिकवाद को नष्ट करने वाले हैं। चीन ने 1979 में कहा कि उसे आध्यात्मिक सभ्यता की आवश्यकता है। वर्ष 1979 नए मोड़ का महत्त्वपूर्ण (Turning point) बिन्दु है।
- ग्रीस, रोम, मिश्र आदि राष्ट्र समाप्त हुए तो इसका मतलब यह नहीं था कि इन देशों में निवास करने वाले सभी लोग नष्ट हो गए। वहाँ रहने वाले तो जीवित थे, किन्तु उनकी संस्कृति नष्ट हो गई, इस कारण यह कहा गया कि वे राष्ट्र नष्ट हो गए।
- संस्कृति हमेशा एक संघीए ही रहती है। वह कभी भी मिलीजुली नहीं रह सकती। शुद्धता संस्कृति की प्रकृति है। संकरता उसकी प्रकृति से मेल नहीं खाती।
- ''बुद्धिमत्ता वरिष्ठ'' और ''वानरयूथपति'' होते हुए भी ''श्रीरामदूत''। ऐसे मामले में बड़े भाई का धीरज असाधारण था। बड़े भाई के व्यवहार के संदर्भ में यूरोप के एक बड़े नेता के बारे में लिखा गया इस वाक्य का स्मरण होता है कि "His patience was infinite; he could wait and watch until others got impatient] acted and failed-"
- बड़े भाई के स्वभाव के कारण उनका मानस चित्र इस तरह उभरकर आता है कि वे महामंत्री पद के कुर्सी पर बैठे हैं, सामने बड़ा टेबल है, टेबल पर सामने एक छोटी प्लेट रखी है, जिस पर लिखा है– "The buck stops here-"
- श्रेष्ठ परम्परा के आधार पर श्रेष्ठ नेता का निर्माण होता है, उसी आधार पर नेता सामान्य साथियों में से असामान्य कार्यकर्ताओं का निर्माण करता है। नेता कार्यकर्ताओं की शक्ति बढ़ाता है, कार्यकर्ता नेता की शक्ति बढ़ाते हैं, और दोनों मिलकर अंगीकृत कार्य की शक्ति बढ़ाते हैं। यह प्रक्रिया काव्य प्रकाश की निम्न पंक्ति का स्मरण दिलाने वाली है–

कमलेन सरः सरसा कमलम्, सरसाकमलेन विभाति वनम् ॥

–कमल सरोवर की, सरोवर कमल की और कमल सरोवर दोनों मिलकर वन की शोभा बढ़ाते हैं।

- अनुशासन बाहर से आता है और आत्मानुशासन भीतर से। ' प्रयास दूसरों को छोटा दिखाने का नहीं, अपने से भी बड़ा बनाने का, ताकि पुण्यकार्य की गंगा कहीं रुक न जाये।
- कोई भी क्रान्ति या सत्याग्रह तब तक सफल नहीं हो सकते, जब तक क्रान्तिकारियों या सत्याग्रहियों के विषय में उपकारक तटस्थता की वृत्ति रखने वालों की संख्या समाज में बहुत बड़ी नहीं रहती। ये लोग समर्थक या विरोधक की भूमिका में नहीं रहते। तटस्थ ही रहते हैं। किन्तु उनकी यह तटस्थता आन्दोलनकारियों के लिए आन्तरिक सहानुभूति से युक्त रहती है। ऐसे लोगों को तांत्रिक दृष्टि से संज्ञा दी गयी है। 'A zone of Benevolent Neutrality'-
- हिन्दुस्तान का राष्ट्र–जीवन बड़ा विचित्र रहा है, वह शासनावलम्बी या शासन केन्द्रित कभी नहीं रहा। यहाँ स्वायत्त अर्थात स्वयंशासित रचना रही। शासन चाहे जिसका रहा हो, हमारा समाज–जीवन सतत चलता रहा। हरेक व्यक्ति और हरेक व्यक्ति समूह के नियमों का पालन अक्षुण्ण चलता

था। पराये लोगों ने यहाँ आक्रमण किए, यहाँ अपना शासन चलाया तो उनके शासन में रहते हुए भी हमारे व्यक्ति–धर्म और व्यक्ति समूहों के धर्म में व्यवधान नहीं आया। यहाँ का स्वायत्त – स्वयं– शासित समाज जीवन अक्षुण्ण चलता रहा।

- समर्थ रामदास जी के सामने यह प्रश्न आया कि ''यह राज्य अर्पण कर रहा है, किन्तु मेरा तो यह धंधा नहीं है, मैं इसे कैसे चलाऊँ? और अंत में मध्यम मार्ग निकला कि "ठीक है, तुम भी राजा नहीं, मैं भी राजा नहीं। यह भगवा ध्वज अपना राष्ट्र ध्वज है। इसके प्रतिनिधि के रूप में तुम शासन चलाओ।'' अपना अर्जित राज्य एक संन्यासी की झोली में डालने के लिए कितना पागलपन आवश्यक है, इसका हम विचार करें। यह अपनी परम्परा से आया हुआ पागलपन है।
- कुन्ती ने कहा, "यह बात सही है कि तुम्हारी युद्ध करने की इच्छा नहीं थी। मैंने तुमको राज्य प्राप्ति के लिए लड़ने को प्रोत्साहित किया। किन्तु तब मेरा और तुम्हारा वही कर्तव्य था। यदि तुम कर्तव्य के नाते राज्य प्राप्त न करते, तो उसका अर्थ यह होता कि तुमने कर्तव्य पालन में भूल की है अतः अपने धर्म, अपने कर्तव्य के पालन और राज्य प्राप्ति के लिए लड़ाई लड़ने को मैने तुमको प्रोत्साहित किया। किन्तु मैं अपने पुत्रों के राज का उपभोग करूँगी। यह भावना मेरे मन में न तब थी न अब है। उस समय राज्य प्राप्ति के उद्देश्य से लड़ाई के लिए तुमको प्रोत्साहित करना मेरा धर्म था। वह धर्म के अनुकूल था और अब जब धृतराष्ट्र बन में जाने के लिए निकले हैं तो उनके साथ वन में जाना मेरा धर्म है, इसलिए मैं उनके साथ जा रही हूँ।
- असमर्पित कर्तृत्ववान व्यक्ति से आत्मसमर्पित कम कर्तृत्ववान व्यक्ति हमारे कार्य की दृष्टि से हम स्पृहनीय मानते हैं।
- जो व्यक्ति अपने ध्येय से एकात्म होता है वह बाजीप्रभू या व्यहेनिटिशयस के समान होता है। उसे नहीं लगता है हम अकेले हैं थोड़े ही हैं हमसे यह कैसे होगा? काम कैसे निभाना? उन्हें विश्वास रहता है, हमारा ध्येय उदात्त है, हमारी विजय तो निश्चित है।
- श्री अरविंद का एक वचन याद आता है– Ego is an asset,ego is a liability- जब तक मन अपरिपक्व है, अहंकार की प्रेरणा से व्यक्ति काम करते जाता है। ऐसी अवस्था में अगर अहंकार छूटे तो कर्म भी छूट जाएगा। निष्क्रियता आएगी। तो इस दृष्टि से अपरिपक्व अवस्था से अहंकार मजह होता है। लेकिन मन की अवस्था अन्यथा परिपक्व होने के बाद भी यदि आदमी के अंदर अहंकार रह जाएगा तो वह खतरनाक है। वह liability बन जाती है।
- जो बात हम स्वयं करते नहीं, उसके बारे में दूसरों को बताना और वे मानेंगे, ऐसी अपेक्षा करना गलत है। अगर दूसरे मान जायें यह अपेक्षा मन में है तो उस बात पर स्वयं अपने जीवन में अमल करना चाहिए।
- जो कार्यकर्ता अपने दोष नहीं पहचान पाता वह अच्छा कार्यकर्ता नहीं बन सकता। दूसरों के दोष देखना सरल है किन्तु अपने दोषों की ओर देखना कठिन। इस दृष्टि से कार्यकर्ता ने आत्मचिंतन करने की आवश्यकता रहती है।
- कार्यसिद्धि हो जाने पर किसी भी अहंता का या ममत्व का भाव मन में न रखते हुए उस कार्य में आगे बढ़ता है, उसी की उलझन में नहीं रहता। एक दृष्टि से कार्यमग्नता में भी निवृत्ति जैसा भाव उसके मन में रहता है। यह जो धारणा दिखाई देती है। इसको अंग्रेजी में unattached involvement कहते हैं।
- बड़ा संगठन करने पर भी नेता को यह सजगता बरतनी आवश्यक है कि अपने कर्तृत्व का अहंकार न हो।
- संपूर्ण जीवन भर अपने स्वयं के जख्मों पर जो नमक छिड़क रहे हैं ऐसे लोग जब मैंने देखे तो मैं कैसे कहूँ कि मेरी उँगली को जरा सी चोट लगी है?
- सबसे नीचे महासागर की गोद में बड़ी बड़ी ऊँचाई वाले सारे जलप्रवाह शरण लेते हैं। इसका कारण यही है कि वह उदार, सर्वसमावेशक, विशाल होकर भी सबसे नीचा स्थान रखता है। सही नेतृत्व तो वही है, जिसे अपना बड़प्पन होते हुए भी उसकी याद तक नहीं रहती और उसका बोझ भी दूसरों पर आता नहीं। (unconscious of one's own magnitude] greatness) इसी को लोकनेतृत्व कहते हैं।
- ऐसा नेता होना चाहिए कि जिससे कोई ऊबता नहीं और जो स्वयं दूसरों के सहवास से ऊबता नहीं।
- चीनी दार्शनिक लाओत्से तुंग ने कहा है The wise leader settles for good work and let others have the floor, जो सुजान नेता होता है वह खुद काम में मग्न तो रहता ही है लेकिन दूसरों को ज्यादा मात्रा में अवसर देता है।
- The leader does not take all the credit for what happens and has no need for self fame, स्वयं को सभी बातों का श्रेय लेने में नेता को रुचि नहीं रहती क्योंकि वह प्रतिष्ठा के पीछे नहीं पड़ता है। दूसरों को बड़ा करने में, अनुयायियों का बड़प्पन देखने में सही नेता को अधिक मात्रा में आनंद मिलता है।
- कार्यकर्ता सच ही बोलता है, लेकिन सच की वह अपनी अपनी राय अमतेपवद होती है। वह झूठ नहीं बोलता, लेकिन उसे सत्य का जैसा दर्शन होता है उसी के अनुसार ही वह बोलता है। वह सच पूरा या यथार्थ होगा ही ऐसी बात नहीं है। इस तरह सत्य की यथार्थता के बारे में मतभेद संभव रहता है।
- हरेक अपने श्रेय का हिस्सा बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। यह crisis of credit sharing बड़ी मात्रा में होता है। ऐसे समय कार्य के जो प्रमुख प्रवर्तक होते हैं, वे इस क्रेडिट शेयरिंग के मोह में न फँसते हुए अपने ही स्थान पर स्थिर रहें और दूसरों को दौड़ने दें, यानी क्रेडिट शेयरिंग के मामले में उनके मन में 'उपेक्षा' का भाव रहा तो फिर काम आगे बढ़ता है। किन्तु प्रमुख प्रर्वतक लोग स्वयं क्रेडिट शेयरिंग की स्पर्धा में मोहवश होकर दौड़ने लगे तो यह कार्य घटता है और समाप्त भी हो जाता है।'

❐

Resolution Adopted by CEC Meeting Pune (Maharashtra)

Resolution No.1

Scraping of NPS and restoration of CCS Pension Rules, 1972 (Now CCS Pension Rules, 2021)

It has always been expected from a Govt to play a role of ideal employer and assure social security to its employees as well as citizens. Every employee dedicates his skill, power and energy to the employer till superannuation or until he lost his capacity to do so and gets remuneration to fulfil his requirements. After superannuation or being incapacitated by whatsoever reasons he becomes unable to serve to get remuneration but his requirement does not end. Then the onus is on the employer to mitigate the hardships faced by the employee. This social security cannot be measured by solely market related factors.

This responsibility was borne by the Govt. as it compiled the CCS (Pension) Rules-1972. Later, Govt. introduced Employees' Pension Scheme- 1995 for change over from contributory provident fund to pension scheme. Now market related factors have compelled the Govt. to deviate to bear its responsibility of social security. Govt. succumbed to this pressure and introduced New Pension Scheme (Defined Contributory Pension Scheme) applicable to Central Govt Servants who join on or after 01.01.2004 vide Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Notification No. 5/7/2003- ECB & PR dated 22nd December, 2003.

Further, after the enactment of the PFRDA Act, 2013, as per Section 20 of the Act, the pension scheme notified on 22.12.2003 has become the National Pension System under the Act. NPS is now regulated under PFRDA Act, 2013 and regulation framed thereunder by Department of Financial Services and PFRDA. Later, all the State Governments except a few followed suit.

As per this New Pension Scheme 10% of Basic Pay+ DA is being recovered from the employees as a compulsory deduction and government is also contributing the same amount. A government servant can exit at or after the age of 60 years and it would be mandatory for him to invest 40 per cent of pension wealth to purchase an annuity which will provide for pension for life time of the employee and his dependent parents/ spouse.

But the abovementioned method lacks of the following benefits required to the employees for their livelihood-

1. This new system has no minimum guaranteed Pension.
2. There is no safeguard from price hike in absence of dearness allowance on pension.
3. No benefit of additional pension on attaining age of 80 years, 85 years, 90 years, 95 years, 100 years.
4. Compulsory retirement pension.
5. Compensation Pension

From above it is established that the new entrants will not be eligible for Superannuation Pension, Compensation Pension, Compulsory Retirement pension, Compassionate Allowance etc. Any scheme not containing the above benefits is not accepted to the employees.

Introduction of New Pension Scheme/ National Pension Scheme (NPS) for Central Government Employees w.e.f 01.01.2004 has adversely affected the concept of social security and it has put the future as well as retirement security (social security) of the employees at stake in lack of abovementioned benefits under the scheme. In place of adopting progressive and dynamic approach for the assets of the society viz retired employees, Govt adopted a retrograde policy with no guaranteed pension, no safeguard from erosion caused by inflation etc.

We appreciate the steps taken by the Govt to modify the scheme and making provisions on account of our agitation/ continuous persuasion like-

1. Provision of Gratuity in the Scheme
2. Enhancement of Govt Contribution to 14%
3. Withdrawal facility in NPS
4. Option of OPS to families of deceased employees.

Though, Central Govt made amendments in some provisions of the scheme like above to make it more attractive and beneficial to employees, but these amendments failed to fulfil the qualities of a strong supporting system for old age like CCS (Pension) Rules, 1972. Thus, with all the remedies or modifications in any scheme related to Pension is not accepted to us. We want restoration of CCS (Pension) Rules, 1972 without any change.

Ever since its inception, BPMS have been opposing the same as the future of employees cannot be put under a Question Mark and Uncertainty.

Perhaps realising the drawbacks of the NPS, some State Governments viz Rajasthan, Chhattisgarh, Himachal Pradesh etc have announced its roll back and have implemented the Old Pension Scheme to their employees.

However, the Central Government (Department of Financial Services) in reply to Unstarred Question No.2009 answered in the Lok Sabha on 14/03/2022 that "there is no proposal under consideration of the Government of India to scrap NPS and revert all officials of Central Government under OPS.

We had adopted a resolution on the matter in our 19th TC and thereafter achieved a littler but remarkable success of coverage under CCS (Pension) Rules, in place of National Pension System, of those Central Govt employees who were recruited against the posts/ vacancies advertised/ notified for recruitment, on or before 22.12.2003.

This Central Executive Committee of the federation, once again, calls upon the Govt. for scraping National Pension System (formerly known as New Pension System) forthwith and restoring Old Pension Scheme viz CCS (Pension) Rules, 1972 (CCS Pension Rules, 2021) for all of its employees.

Proposed by: Shri P Vidyasagar, Secretary/ BPMS Seconded by: Shri Maruti H Pawar, Vice-President/ BPMS

Resolution No. 2

Implementation of Prasar Bharti Model for the employees of Ordnance Factories-

The Government of India on 16 May, 2020 announced that the Ordnance Factory Board will be corporatized to ensure autonomy, accountability and efficiency in Defence Supplies.

This was followed by issuance of Ministry of Defence Letter No.1(5)/2021/OF/DP/Plg(V) dt.21/06/2021 wherein it was conveyed that the Cabinet Committee on Security in it's meeting held on 29/07/2020 had approved to convert Ordnance Factory Board, a subordinate office of the Ministry of Defence into one or more than one 100% Government owned corporate entities, registered under the Companies Act 2013. It was also further stated that the Cabinet in its meeting held on 16/06/2021 has inter-alia approved to convert the production units of OFB into 07 DPSUs.

The Government communicated the following through a Press Release as Published through PIB Release No.1736746 dated 19/07/2021 -

"The Government has ensured safeguarding the interests of the employees of Ordnance Factory Board (OFB) post corporatisation of OFB, inter-alia, in the following manner:

It has been decided that all the employees of OFB (Group A, B & C), belonging to the production units and also the non-production units being handed over to the new DPSUs (to be formed) would be transferred to these DPSU(s) on terms of foreign service without any deputation allowance (deemed deputation) initially for a period of two years from the appointed date.

All the employees of OFB Head Quarter, OFB New Delhi Office, OF Schools and OF Hospitals, would be transferred to the Directorate of Ordnance Factories (to be formed) under the Department of Defence Production, initially for a period of two years from the appointed date.

Till such time the employees remain on deemed deputation to the new entities, they shall continue to be subject to all rules and regulations as are applicable to the Central Government servants. Their pay scales, allowances, leave, medical facilities, career progression and other service conditions will also continue to be governed by the extant rules, regulations and orders, as are applicable to the Central Government servants.

The pension liabilities of the retirees and existing employees will continue to be borne by the Government. Since the announcement of the Government to undertake corporatisation of OFB in May, 2020, the Government has held various discussions with the OFB employees' Federations regarding the corporatisation of OFB under Chairmanship of Secretary (Defence Production). Their concerns and suggestions were noted. Their main concern about safeguarding the interests of the employees of OFB has been adequately addressed as mentioned above. It is pertinent to mention that Chief Labour Commissioner (Central) also held discussions with Government & OFB Federations as part of the conciliation process under the ID Act 1947.

This information was given by Raksha Rajya Mantri Shri Ajay Bhatt in a written reply to Shri Binoy

Viswam in Rajya Sabha today."

Further, in answer to Lok Sabha Unstarred Question Number 994 answered on 03/12/2021, vide Para (d) the following was mentioned-

"(d) The Government is committed to safeguard the interests of the employees of erstwhile Ordnance Factory Board (OFB), as mentioned at various forums including during interactions with the Federations. Accordingly the Government has taken the following steps:-

(i) All the employees of OFB (Group A, B & C) belonging to the production units and also the identified non-production units have been transferred en masse to the new DPSUs on terms of foreign service, without any deputation allowance (deemed deputation) initially for a period of two years from the Appointed Date.

(ii) Till such time, the employees remain on deemed deputation to the new DPSUs, they shall continue to be subject to all the extant rules, regulations and orders as are applicable to the Central Government servants, including related to their pay scales, allowances, leave, medical facilities, career progression and other service conditions.

(iii) All the employees of OFB (Group A, B & C) belonging to OFB Head Quarter (at Kolkata), OFB New Delhi Office, OF Schools and OF Hospitals have been transferred en masse to the Directorate of Ordnance (Coordination & Services) under the Department of Defence Production, initially for a period of two years from the Appointed Date.

(iv) The pension liabilities of the retirees and existing employees will continue to be borne by the Government. For the employees recruited after 01.01.2004, National Pension Scheme applicable to the Central Government employees is in vogue and the same would be adopted by the new DPSUs, including continuation of all special provisions applicable to Central Government employees under the National Pension System."

However, when Akashwani and Doordarshan, were converted into a corporation, the Government published The Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Amendment Act 2011 vide Gazette of India part-II section 1 dated 09/01/2012 in which suitable amendments were made in Section 11(1) as follows :

"All Officers and Employees recruited for the purposes of Akshwani or Doordarshan before the appointed day and in service in the corporation as on the 1st day of April 2000, shall be on deemed deputation to the corporation with effect from the 1st day of April 2000, and shall so continue till their retirement."

As can be seen from the above there is a clear case of discrimination involved in the matter of employees of the Ordnance Factory Board who have been transferred to the newly formed DPSU(s) "on terms of foreign service without any deputation allowance (deemed deputation) initially for a period of two years from the appointed date."

Since the above discrimination amongst two sets of Central Government Employees is in violation of Article 14 and 16 of the Constitution of India, this meeting took serious cognizance of the issue and resolved to demand to the Government parity with the status of their brethren and issue the following notification :

"All Officers and Employees recruited for the purposes of rendering services in the Indian Ordnance Factories, including the Ordnance Factory Board before the appointed day and in service in the newly formed Seven DPSU(s) as on the 1st day of October 2021, shall be on deemed deputation to the newly formed Seven DPSU(s) with effect from the 1st day of October 2021, and shall so continue till their retirement."

The above resolution has been unanimously adopted in the Central Executive Committee of the federation on the 27th Day of May, 2023 at Khadki, Pune.

Proposed by: Shri A N Hemanand, Joint Secretary/ BPMS

Seconded by: Shri Dnyaneshwar Jadhav, Joint Secretary/ BPMS

Resolution No. 3

To Stop Disbandment, Reduction, Contractualisation, Corporatisation & Privatization of Defence Establishments in the name of Restructuring and filling of vacant posts in them at the earliest-

Army Base Workshops are an important part of the industrial base of Indian Defence forces. Eight Army Base Workshops (ABWs) were established during the Second World War to carry out repairs and overhaul of weapons, vehicles and equipment to keep the Indian Army operationally ready. These ABWs play important

role in reset and regeneration of combat capability of Army. The Army Base Workshops (ABWs) carry out repairs and overhaul of weapons, vehicles and equipment to keep the Indian Army operationally ready both during peace and war. They also undertake manufacture and indigenization of spares.

However, on the basis of the "Shekatkar" Committee report and without any consultation with the major stake holders viz: the Trade Unions, under the plan for modernization of the Army Base Workshops (ABWs) the Government has started implementation of the 'Government-owned, contractor-operated (GOCO)' model.

Thus, vital defence assets are being handed over to the private sector and the fate of employees lies under a big question mark. Almost all station workshops under EME directorate had been shut down.

The Ordnance Depots plays vital role in ordnance inventory management by adopting best business practices in warehousing and supply chain. However, in spite of this seamless operation, the Government plans to merge, close down and also introduce GOCO model in these depots also. A similar fate is waiting for the BRDs of Airforce too.

DRDO has been the torchbearer of the defence research and development in the country. It has been responsible for identifying critical technologies, working out modalities for technology development and identifying partners for technology acquisition.

However, in spite of it's yeomen service to the nation, the organisation has embarked upon the GOCO Model to encourage "Industry Participation", thus exposing all defence secrets to the corporate world.

On 24/09/2021 the Govt notified the corporatization of the 41 production units (Ordnance Factories) of the Ordnance Factory Board ("OFB"), functioning under the Department of Defence Production, Ministry of Defence and transferred the management, control, operations and maintenance of these 41 production units and identified non-production units to 7 Government companies with effect from 01 Oct 2021.

Discussion has started to corporatize MES in line of Ordnance Factories by some apex level intellectuals/ defence experts.

Of late, huge reduction has been made in strength of civilian employees of MES and Navy & Airforce is in the queue and it is lowering the performance of the establishments. The policy makers are seeking remedy in contractualisation/ outsourcing of the work.

All the directorates/ departments under Ministry of Defence are under huge level of contractualisation. Permanent Posts are being replaced with contract workers. Though Department of Personnel & Training had issued a letter to fill all vacant posts of all departments immediately but it proved a gimmick. The departments are being run under huge stress as there is huge shortage of manpower.

The above practice is being done without any contemplation and the same is leading to financial loss to the employees in the form of seniority loss, pay reduction, downgradation etc. They are being constrained to move to a distant location.

This conference, after intense discussions on the subject, hereby demands to stop immediately all the practices of Disbandment, Reduction, Contractualisation, Corporatisation & Privatization of Defence Establishments in the name of Restructuring and filling of vacant posts in them at the earliest

Proposed by: Shri Bishwanath Ghosh, Jt Secretary/ BPMS

Seconded by: Smt Sujata M Patil, Jt Secretary/ BPMS

Resolution No. 4

Extension of Social Security and Welfare by Grant of one time relaxation on the ceiling of 5% for compassionate appointment in Ministry of Defence.

The appointment on compassionate ground is an exception to the equality clause under Article 14. If an employee dies while in service then according to rule framed by the Central Government or the State Government, appointment to one of the dependents shall not be considered violation of Articles 14 and 16 of the Constitution because this exception has been provided through various rules only to mitigate the hardships of deceased employee family suffering from scarcity of very trivial things of daily life due to the death of sole bread winner of the family and sudden misery faced by the members of the family of such employee who serves the Central Government or the State Government.

Hon'ble Supreme Court of India has held that while framing a rule in respect of appointment on compassionate ground, the authorities have to be conscious of the fact the fundamental right which has

been provided to the citizen of India under Articles 14 and 16 of the Constitution. As such there should be a proper check and balance. Further, though the compassionate appointment matters fall under exclusive domain of the State which extends it to a family member of the deceased Government Servant in order to relieve them of the penurious situation and the crippling crisis arises due to the sudden demise of the employee. The exercise of making such appointments should not be on routine basis in all cases but only in exceptional cases where the situation is such that grant of appointment is absolutely warranted, as otherwise, the family would sink down and collapse due to penury.

The Apex Court held that the very concept of giving a compassionate appointment is to assuage the financial hardships of the family of the deceased. It has been held by the Hon'ble Supreme Court in the case of Umesh Kumar Nagpal vs. State of Haryana and others reported in (1994) 4 SCC 138, that-

> Appointments in the public services should be made strictly on the basis of open invitation of applications and merit. No other mode of appointment or any other consideration is permissible. Neither the Governments nor the public authorities are at liberty to follow any other procedure or relax the qualifications laid down by the rules for the post. However, to this general rule which is to be followed strictly in every case, there are some exceptions carved out in the interests of justice and to meet certain contingencies. One such exception is in favour of the dependents of an employee dying in harness and leaving his family in penury and without any means of livelihood. In such cases, out of pure humanitarian consideration taking into consideration the fact that unless some source of livelihood is provided, the family would not be able to make both ends meet, a provision is made in the rules to provide gainful employment to one of the dependents of the deceased who may be eligible for such employment. The whole object of granting compassionate employment is thus to enable the family to tide over the sudden crisis.

Govt. of India, DoP&T O.M. No. 14014 / 6 / 94- Estt (D) dated 09th Oct 1998 read with O.M. No. 14014/23/ 99- Estt (D) Dated 03rd Dec 1999 (consolidated all instructions latest by OM No. 14014/1/2022-Estt.(D) dated 02 Aug 2022) has a provision to give compassionate appointment to one of the dependents for the survival of the family, if the employee unfortunately dies during his service period; leaving his family behind to survive, but it is limited to only 5% of the vacancies falling under direct recruitment quota in any Group 'C' or 'D' post. Not only this, under this 5% quota of DR of Group 'C' & 'D' defence civilians, the dependents of Group 'A' & 'B' defence civilians and all uniformed personnel (of Army, Air Force & Navy) are being granted compassionate appointment whereas the 5% vacancies under DR of Group 'A' & 'B' defence civilians and uniformed personnel are not included. Due to this, a large number of wards are waiting for their appointment on compassionate ground so that they may be able to look after their family properly.

There was 5.85 lakh sanctioned strength of defence civilians but the existing strength was only 3.98 lakh as on 01.01.2014 according to the report of 07th CPC. The equation has become worse over the time of 09 years.

Recently, It has been found that after corporatization of Ordnance Factories, the whole system of grant of Compassionate Ground appointment has been stalled. Even in EME the instructions of Govt of India is not being followed in letter and spirit without mentioning any reason. The worse situation has not become worst. A long queue of legitimately entitled wards of died in harness employees has visible.

It is worth to mention here that DoP&T is the competent authority to grant one time relaxation from the ceiling of 5% vacancies falling under direct recruitment quota in Group 'C' post in a recruitment year.

We had resolved the same issue in our 17th & 18th TC. The then Defence Minister Shri Manohar Parrikar had assured us regarding redressal of it. Some appropriate action was taken by him. But after his departure to Goa, the matter could not get any momentum and still unresolved.

Therefore, this CEC meeting of BPMS unanimously resolves keeping in mind the penury situation of families of deceased employees in mind that Ministry of Defence should seek one time relaxation from DoP&T from the ceiling of 5% vacancies for compassionate ground appointments in the Defence Installations so that all the pending genuine cases may be resolved forthwith.

Proposed by: Shri Vivek Kumar, Special Invitee/ BPMS

Seconded by: Shri Sudhir Tripathi, CEC member/ BPMS

❐

Government ORDERS

सत्यमेव जयते

e-F.No. A-24011/6/2022-Estt. (Leave) Government of India Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions Department of Personnel & 'Trainingik Old JNU Campus, New Delhi 110 067 Dated; 06.06.2023

Subject : Disparity in Crediting of Earned Leave in the case of Defence Civilian Industrial Employees government under CDS(IE) Rules 1954 - regarding.

The undersigned is directed to refer to joint Consultative Machinery (JCM) Letter no. NC-JCM-2022/DOPT(EL) dated 13.04.2023 (copy forwarded for appropriate action) on the above subject for accumulation of 300 + 30 days EL to the Industrial Employees covered by CDS (IE) Leave Rules 1954.

2. The matter has been examined in light of the CCS (Leave) Rules 1972 and it is stated that, insofar as Central Government employees to whom the CCS (Leave) Rules are applicable, Rule 26(b) of the CCS (Leave) Rules, 1972, stated that the leave at the credit of a Government servant at the close of the previous half-year shall be carried forward to the next half-year, subject to the condition that the leave so carried forward plus the credit for the half-year do not exceed. the maximum limit of 300 days. Further it also provides that if the earned leave at the credit of Government servant as on the last date of December or June is 300 days or less but more than 285 days, the advance credit of 15 days earned leave on first day of January or July beyond 300 days shall be credited in leave account and be kept separately and first adjusted against the earned leave that the Government servant takes during that half-year and the balance, if any, shall be credited to the leave account at the close of the half-year, subject to the condition that balance of such earned leave plus leave already at credit do not exceed the maximum limit of 300 days.

3. Since CDS (IE) Leave Rules 1954 is a separate leave rules governing Industrial Employees under the Ministry of Defence, the copy of the JCM letter as indicated in para-1 above is hereby forwarded to Ministry of Defence being the nodal Ministry, for action as appropriate.

This issues with the approval of Competent Authority,

❐

F. No.25-01/2018/CGHS/IDAYUSH/ }91- Q1- Ministry of Health & Family Welfare Directorate General of CGHS Office of the Director, CGHS CGHS Bhawan, RK Puram Sec-13, New Delhi-66 Dated: 31" May, 2023

Subject: Empanelment of Private Day Care Therapy Centers for Ayurveda, Yoga & Naturopathy under CGHS-reg.

The matter regarding subject cited above has been under consideration of this Ministry for some time. In this regard, the undersigned is now directed to convey the approval of the Competent Authority to start empanelment of private Ayurveda, Yoga & Naturopathy Day Care Therapy Centers, which are having NABH accreditation, for a period of one year in Delhi/NCR region.

Empanelment of private Ayurveda, Yoga &Naturopathy Day Care Therapy Centers under CGHS would be as per following details:

1. Ayurveda, Yoga & Naturopathy Day Care Centre means and includes Dispensary, Clinic, Polyclinic or any such private health centre which is registered with the local authorities, wherever applicable and having facilities for carrying out treatment procedures / therapy and medical or para-surgical interventions or both under the supervision of registered Ayurveda, Yoga & Naturopathy Medical Practitioner (s) on Day Care basis.
2. Only NABH accredited Hospitals/Centres shall be considered for empanelment for a period of one year, initially, in Delhi/NCR, inviting fresh applications. If any Hospital/Centre has the facilities for more than one stream (Ayurveda, Yoga & Naturopathy), then the hospital/centre should have NABH accreditation for all the streams separately before applying for CGHS empanelment. In addition, any Hospital/ Centre cannot add/remove the facilities without informing the CGHS.
3. Only treatment procedures / therapy as per CGHS list would be allowed to be taken from Day Care Centers in Ayurveda, Yoga & Naturopathy.
4. Room rent is not admissible for treatment procedures/therapies administered in the Day Care Therapy Centers.
5. For Ayurveda Day Care treatment, permission / referral shall be issued for a maximum period of two-weeks initially. The CGHS beneficiaries will be

referred to the Ayurveda Day Care Therapy Centre on the basis of the requirement of the Day Care Therapy in a diseased condition which are not treatable by medication only. The referral may be taken from the treating Ayurvedic physician from CGHS / Govt. Hospitals / National Ayurvedic Institutions / Local body Hospitals and Centers / State Govt. Ayurvedic Centers for therapies and duration, as advised.

Extension of duration of treatment, if any, will be admissible only with prior approval of CGHS / Govt. Ayurvedic Doctors in case of Ayurveda for a further period of upto two-weeks.

6. The empanelled Ayurveda Day Care Therapy Centers shall also be permitted to provide OPD consultation agter referral by CMO/SMO/Mo. However, medicines shall be prescribed only from CGHS formulary and shall be obtained from CGHS Ayurvedic Wellmess Centres only.

7. Only 2-3 therapies in single specialty in Ayurveda would be permitted in a day.

8. CGHS / CS (MA) beneficiaries may directly obtain consultation/treatment from the empanelled reimbursement subject to prior intimation to their respective Ministries/Departments in respect of serving CGHS / CS (MA) beneficiaries and to the concerned ADs of CGHS cities in respect of CGHS pensioner beneficiaries. There should be a gap of at least 3 months before the treatment is repeated, if the patient has undergone a two-week treatment and after a gap of at least 45 days if, the patient has undergone one-week treatment.

9. (a) It is clarified that the procedures suffixed with package treatment in annexure A2, Y2, N2 are “Package treatment” and reimbursement shall be limited to the package rates.

   (b) The “package rate” includes all charges pertaining to a particular treatment/procedure including registration charges, cost of medicines, Panch karma charges, charges for Khsar sutra operation /procedures charges Doctors/ Consultation visit charges, monitoring charges, operation theatre charges, procedural charges/ Surgeon’s fee, cost of disposable surgical charges and cost of all sundries used during therapy, routing investigations, physiotherapy charges etc. This also is inclusive of all sub-procedures and related procedures to complete the treatment.

   (c) No additional charge on account of extended period shall be allowed if that extension is due to any improperly conducted procedure.

10. The treatment procedures like Vamana, Virechana, Snehapana, Siravyadhana, Pizhichil, Shashtika Sali Pinda Sweda, Niruha basti, Anuvasana (Sneha basti) are not permitted under Day Care System.

11. The Ayurveda, Yoga & Naturopathy Hospitals / Day Care Therapy Centers will not refuse treatment to Central Government Employees or their dependent family members who are not CGHS beneficiaries if they produce certified / attested copies of identity cards issued by the Government of India and shall not charge more than the prescribed package rates.

12. An Ayurveda, Yoga & Naturopathy Hospital / Day Care Therapy Centre empanelled as above, whose rates for treatment procedures are lower than the prescribed rates shall charge lower rates.

13. The list of CGHS rates for Ayurveda, Yoga & Naturopathy are enclosed (A2, Y2, N2,).

    The ceiling of maximum of Rs. 1000/- as one day combined package for both Yoga & Naturopathy procedures (Rs. 250/- per day as one day yoga therapy package for Yoga & Rs. 750/- per day as one day package treatment for Naturopathy), may be allowed as per the Annexures - N2 & Y2 of O.M dated 09.11.2017.

    However, rates and number of treating days will be counted as per the clarification issued by CGHS on dated 30.09.2022.

14. The unit rates mentioned in the rate list is inclusive of Man power, medicines and infrastructure hence no other add-on charges to be added to the procedures offered by the Hospital / Day Care Therapy Centers.

15. For the purpose of Day Care Therapy in Ayurveda, Yoga & Naturopathy Govemment Hospitals, Autonomous Hospitals funded by Central Government, State Government, Hospitals managed and run by Councils functioning under Ministries, National Institutes funded by Central / State Government are deemed to be CGHS empanelled and the treatments taken in such hospitals shall be reimbursed as per CGHS rates or hospital rates, whichever may be lesser.

16. Hospitals / Day Care Therapy Centers shall provide credit facility to the entitled class of CGHS beneficiaries which includes Central Government pensioners and other entitled class of beneficiary,

serving employees of Ministry of Health & Family Welfare, Serving employees of DGHS / CGHS and other notified categories.

17. Hospital / Day Care Therapy Center credit bills, in case of pensioners, former Governors, former Vice-Presidents, ex-MPs, Freedom Fighters etc., shall be submitted to the Additional Director, CGHS Delhi through NHA plateform and to Rajya Sabha Secretariat / Lok Sabha Secretariat, as the case may be in respect of Members of Parliament. For serving beneficiaries of CGHS / DGHS and Ministry of Health & Family Welfare, credit bills would be submitted to their Departments for consideration. For other serving beneficiaries reimbursement would be claimed by serving employees from their respective Departments.

18. In case of CGHS pensioner beneficiaries, CGHS card is valid at any Wellness Centres in India for availing CGHS facilities, irrespective of the WC/City, where it is registered. Empanelled HCOs shall provide treatment on credit basis to CGHS pensioner beneficiaries, ex-MPs, etc., irrespective of the City/Wellness Centre where the CGHS Card is registered.

19. Any legal liability arising out of such services, responsibility solely rests on the Hospital and shall be dealt with by the concerned empanelled Hospital / Day Care Therapy Centre. Services will be provided by the Hospitals / Day Care Therapy Centre as per the terms of agreement signed between the Hospital / Day Care Therapy Centre and the Additional Director, CGHS Delhi.

20. The shortlisted Hospitals / Day Care Therapy Centers recommended for empanelment shall have to sign MoA and submit Performance Bank Guarantee of requisite amount valid for a period of one year and six months before they are notified as empanelled under CGHS.

21. The CGHS inspection squad will make surprise visits for the empanelled centers, at least once in a month or as per the complaints received to ensure and address the quality and safety treatment to the beneficiaries including performance of the Hospital/Centre as per MoA.

This issues with the concurrence of Integrated Finance Division, Ministry of Health & Family Welfare vide CD No. 537 dated 26.05.2023 and is valid for one year from the date of issue of this OM.

A copy of this OFFICE MEMORANDUM along withApplication form and related Annexures are placed on the website of Ministry http://vww.cghs.gov.in

F. No. Z15025/8/2023/DIR/CGHS GOVT. OF INDIA , MIN. OF HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE DIRECTORATE OF CGHS, CGHS Bhawan, RK Puram Sec-13, New Delhi Dated: 19 June, 2023

Subject: Revision of CGHS rates for 36 Radiological / Imaging investigations - regarding

I am directed to convey the approval of Competent Authority for revision of CGHS rates for 36 Radiological / Imaging investigations as per the details given below :

(all figures are in Rupees)

	Code No.	Investigation	Revised Rates for CGHS empannelled HCOs	
			For NABH/NABL Accredited	For Non NABH/NABL Accredited
1	590	ECG	175	150
2	592	Echo	1475	1255
3	594	Fetal ECHO	1600	1360
4	597	Stress Echo	2400	2040
5	598	D-Stress Echo	3000	2550
6	604	MRI Cardiac	8000	6800
7	710	USG Colour Doppler Pregnancy	1675	1425
8	1358	Testicular Scan	1700	1445
9	1360	Thyroid Scan with Technetium 99m Pertechnectate	1900	1615
10	1375	TMT	1120	950
11	1590/708	USG for anomalies scan	2000	1700
12	1591	USG Whole abdomen / KUB	800	680
13	1592	USG Pelvis / Gynaec.	500	425
14	1597	USG Breasts	800	680
15	1598	HSG	2400	2040
16	1603	USG guided FNAC	1800	1530
17	1606	X Ray Abdomen AP Supine or Erect (one film)	250	215
18	1608	Chest X-ray PA View (one film)	230	195

19	1609	Chest X-ray lateral View (one film)	230	195
20	1627	IVP	1650	1400
21	1628	MCU	1120	950
22	1629	RGU	1120	950
23	1635	Mammography B/L	1375	1170
24	1637	NCCT Head	1035	880
25	1661	MRI Brain	2500	2125
26	1663	MRI Orbit	1700	1445
27	1674	MRI Wrists single joint without contrast	3000	2550
28	1675	MRI Wrists Both joints without contrast	4000	3400
29	1678	MRI Knee single joint without contrast	3000	2550
30	1680	MRI Knee Both joints without contrast	4000	3400
31	1682	MRI Ankle single joint with contrast	5000	4250
32	1684	MRI Ankle Both joints with contrast	6500	5525
33	1700	MRI whole Spine Screening	2000	1700
34	1703	MRI Whole Spine	4000	3400
35	1784	CECT Thorax	2875	2445
36	1834	HRCT Chest	2000	1700

2. These rates are applicable in all CGHS Cities.

3. The rates for non-NABH / non-NABL accredited HCOs are 15% less than the rates for NABH/NABL Accredited HCOs.

4. The other terms and conditions of empanelment shall remain unchanged.

5. The revised rates shall be applicable from the date of issue and shall be valid till further orders.

6. This issues with the approval of Competent Authority and concurrence of Integrated Finance Division, Ministry of H&FW vide CD No. 848 dated 16.06.2023 ❐

No. 214/2023/D (civ-1) Government of India, Ministry of Defence aake. 144, B Wing, Sena Bhawan 23, New Delhi, the 07 June 2023

Subject: Granting of Annual Increment on retirement: National Extension of Supreme Court Verdict in favour of similarly placed Non-petitioner employees.

The undersigned is directed to refer to letter date 007-06-2023 received from the General Secretary/BPMS & Member, JCM-II Level Council (MoD) regarding the above mentioned subject (copy enclosed).

2. In the aforesaid letter, BPMS have referred the judgment dated 11.04.2023 in the case of 'The Director (Admn and HR) KPTCL & Ors vs. C.P. Mundinamani & Ors (Civil Appeal No 2471 of 2023, decided on 11.04.2023)' passed by Hon'ble Supreme Court and requested to extend the benefits of this judgement to all similarly placed non-petitioner employees who have retired in the past and were denied the benefit of annual increment on the ground of their retirement.

3. As DoP&T is the Nodal Agency in the subject mentioned above. Therefore, BPMS letter dated 07.06.2023 is hereby forwarded to DOP&T for consideration. Direction, if any, in this regard may please be intimated to this division.

❐

कार्यकर्ताओं के विचार

– मोहित सेंगर

सह प्रभारी, मानव संसाधन विभाग

ओ.ई.एफ. मजदूर संघ, कानपुर

धनं प्रतिष्ठा धनं शक्ति : धनं यशो धनं सुखम्

धन प्रतिष्ठा है, धन शक्ति है, धन यश है, धन सुख है।

धन ही इस चेतन जगत की गतिशीलता का कारक है। भारतीय संविधान भी लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना का आधार प्रदान करता है। भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भी इसको पुष्ट करती हैं। इन सभी प्रयोजनों हेतु अर्थ भारतीय अर्थव्यवस्था के पहिए को सदैव श्रम से गतिशील रखने वाले सरकारी कर्मचारियों के पुरुषार्थ से उत्पन्न होता है।

परन्तु जब यही सरकारी कर्मचारी इसी पुरुषार्थ के कुछ हिस्से की मांग पुरानी पेंशन योजना (OPS) के रुप में करता है। तब भारत सरकार उस अपने कर्मचारी को न्यू पेंशन स्कीम (NPS) के लाभ गिनाती है। फिर भी यह मुद्दा अपने अन्त को नहीं प्राप्त होता है। इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसी क्रम में राज्यों के कर्मचारियों में पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाली को लेकर हड़तालें भी की हैं।

इस सम्पूर्ण प्रक्रिया को सिर्फ राजकोषीय घाटे के आधार पर स्वीकृत न करना! भारतीय संविधान के समाजवादी स्वरुप पर भी प्रश्नचिन्ह लगाता है। एक कर्मचारी अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष राष्ट्र निर्माण में लगाता है पर अपने जीवन की संध्या बेला पर सरकार उसे बाजार आधारित प्रति फल पेंशन योजना के सहारे छोड़ देती है। सरकारी कर्मचारी की वाजिब चिंता की भी उपेक्षा करी जाती है। जबकि एक गुणवत्ता पूर्ण सेवानिवृत्त जीवन की उसकी अपेक्षा तर्कसंगत है।

अतः श्रम को सम्मान देते हुए भारत सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करें तथा सामाजिक सुरक्षा के आंदोलन की गति तेज करे। ❐

ओ.ई.एफ. मजदूर संघ – कानपुर द्वारा ओ. टी. एरियर के भुगतान हेतु धरना प्रदर्शन कर महाप्रबंधक को ज्ञापन दिया ।

एनपीएस समाप्त कर ओ.पी.एस. लागू करने हेतु 19 से 24 जून 2023 को विभिन्न रक्षा संस्थानों में आन्दोलन किया गया।

आर्डिनेन्स फैक्ट्री मजदूर संघ – शाहजहाँपुर

MES – पठानकोट

RNI No. MAHBIL/2002/8760 Publication Date : 23 June 2023
MONTHLY NEWS PAPER
Postal Regd. No. Misc-II/C.P.M//007/K.PH.O./2020 dt 29-12-2020 (for 2021-23)• Posted on Dt. 26,27th Monthly

बधाईयाँ बधाईयाँ

आर्डिनेन्स फैक्ट्री बडमाल, उड़ीसा के कार्यसमिति चुनाव में बी.पी.एम.एस. ने 5/7 सीटों पर विजय हासिल की।

एस.एफ. मजदूर संघ कानपुर द्वारा कार्यसमिति में 9/10 एवं कैन्टीन प्रबंध समिति 2/2 सीटों पर विजय हासिल किया।

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएँ हमें इस पते पर भेजिये।

If undelivered please return to :

"Pratiraksha Bharti"

C/o. Bharatiya Pratiraksha Mazdoor Sangh
2, Naveen Market, Kanpur - 208 001
Mob. : 9450153677, Tel./Fax : 0512-2332222
Website : www.bpms.org.in
E-mail : gensecbpms@yahoo.co.in, cecbpms@yahoo.in

बुक पोस्ट

Publisher and Owner : Bhartiya Pratiraksha Mazdoor Sangh, 2 Naveen Market, Kanpur-208001
Printed at Chhaya Press 8/208, Arya Nagar, Kanpur-208002 • Mob. : 9839223650